



2026:AHC: 7732

प्रकाशनार्थ स्वीकृत

उच्च न्यायालय, इलाहाबाद

धारा 482 के अंतर्गत आवेदन संख्या- 34372 वर्ष 2016

फौजदार यादव एवं 2 अन्य

.....आवेदक(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और एक अन्य

.....विपक्षी(गण)

आवेदक(गण) के अधिवक्ता

: कैलाश पति सिंह यादव

विपक्षी(गण) के अधिवक्ता

: शासकीय अधिवक्ता, प्रवीण कुमार सिंह

न्यायालय संख्या-18

माननीय न्यायमूर्ति राजीव भारती

1. आज दायर किया गया प्रत्युत्तर शपथ पत्र अभिलेख पर ले लिया गया है।
2. आवेदकों के विद्वान अधिवक्ता, राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता, विपक्षी संख्या 2 के विद्वान अधिवक्ता को सुना गया और अभिलेख पर प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया।
3. वर्तमान आवेदन, विशेष न्यायाधीश, एससी/एसटी अधिनियम, गाजीपुर के न्यायालय में लंबित, थाना- सैदपुर, जिला- गाजीपुर के मुकदमा अपराध संख्या- 317 वर्ष 2016 से उत्पन्न विशेष आपराधिक वाद संख्या- 96 वर्ष 2016 (राज्य बनाम फौजदार एवं अन्य) में भारतीय दंड संहिता की धारा 323, 504 एवं अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 (जिसे इसके बाद "एससी/एसटी अधिनियम" कहा जाएगा) की धारा 3(1)(द), (ध) एवं 3(2)(व) के अंतर्गत, दिनांक 07.07.2016 के आक्षेपित आरोप-पत्र (आरोप-पत्र संख्या- 15/16) को निरस्त करने के लिए दायर किया गया है।
4. वाद के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि 17.03.2016 को थाना - सैदपुर, जिला - गाजीपुर में, विपक्षी संख्या 2 द्वारा आवेदकों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 323 और 504 के अंतर्गत

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



एनसीआर संख्या 63 सन् 2016 दर्ज की गई थी। इसमें कहा गया था कि 17.03.2016 को, आवेदक विपक्षी संख्या 2 के खेत में जबरदस्ती नाली का निर्माण कर रहे थे; जब विपक्षी संख्या 2 ने इसका विरोध किया, तो आवेदकों ने जाति-सूचक शब्दों का प्रयोग करते हुए उसे गाली दिया और उसके बेटे पर लाठी-डंडे से हमला भी किया।

5. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने यह तर्क दिया है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अधिनियम के प्रावधानों को लागू करना पूरी तरह से गलत है, क्योंकि कथित अपराध के लिए आवश्यक वैधानिक शर्तें—विशेष रूप से यह कि अपराध "सार्वजनिक दृष्टि में आने वाले किसी भी स्थान पर" किया गया हो—इस प्रकरण में पूरी तरह से अनुपस्थित हैं। यह तर्क दिया गया है कि, स्वयं अभियोजन पक्ष के वाद के अनुसार, कथित घटना को केवल शिकायतकर्ता श्याम देव गौड़ और उनके बेटे विनोद गौड़ ने ही देखा था; ये दोनों ही स्पष्ट रूप से "हितबद्ध" और संबंधित साक्षी हैं, और घटना स्थल पर जनता का कोई भी स्वतंत्र सदस्य उपस्थित नहीं था।

6. आगे यह तर्क दिया गया है कि न तो प्रथम सूचना रिपोर्ट और न ही आरोप-पत्र में कथित तौर पर इस्तेमाल किए गए जाति से जुड़े सटीक शब्दों का जिक्र है, और न ही यह बताया गया है कि क्या जाति से जुड़े कथित शब्द (यदि कोई थे) शिकायतकर्ता को उसकी जाति के कारण अपमानित करने के इरादे से और ऐसी जगह पर कहे गए थे जो "सार्वजनिक नज़र में" हो; जो कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अधिनियम के तहत अपराधों को लागू करने के लिए एक अनिवार्य विधिक शर्त है।

7. आवेदक के अधिवक्ता ने अपने तर्क के समर्थन में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय पर भरोसा जताया है, जो **रमेश चंद्र वैश्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य, क्रिमिनल अपील संख्या 1617, (2023) 0 एससी 550, दिनांक 19.05.2023** को निर्णीत में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि हर अपमान या धमकी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अधिनियम के अंतर्गत अपराध नहीं मानी जाती है, और यह कि किसी भी स्वतंत्र सार्वजनिक साक्षी और सार्वजनिक स्थान की अनुपस्थिति में, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अधिनियम के अंतर्गत कार्यवाही जारी रखना विधि की प्रक्रिया का दुरुपयोग माना जाएगा।

8. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **(2008) 8 एससीसी 435** में प्रतिवेदित **स्वर्ण सिंह बनाम राज्य** के वाद में लगातार यह अभिनिर्धारित है कि "सार्वजनिक स्थान में किसी भी जगह" अभिव्यक्ति का मतलब केवल ऐसी जगह नहीं है, जहाँ जनता की पहुँच हो, बल्कि इसके लिए अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



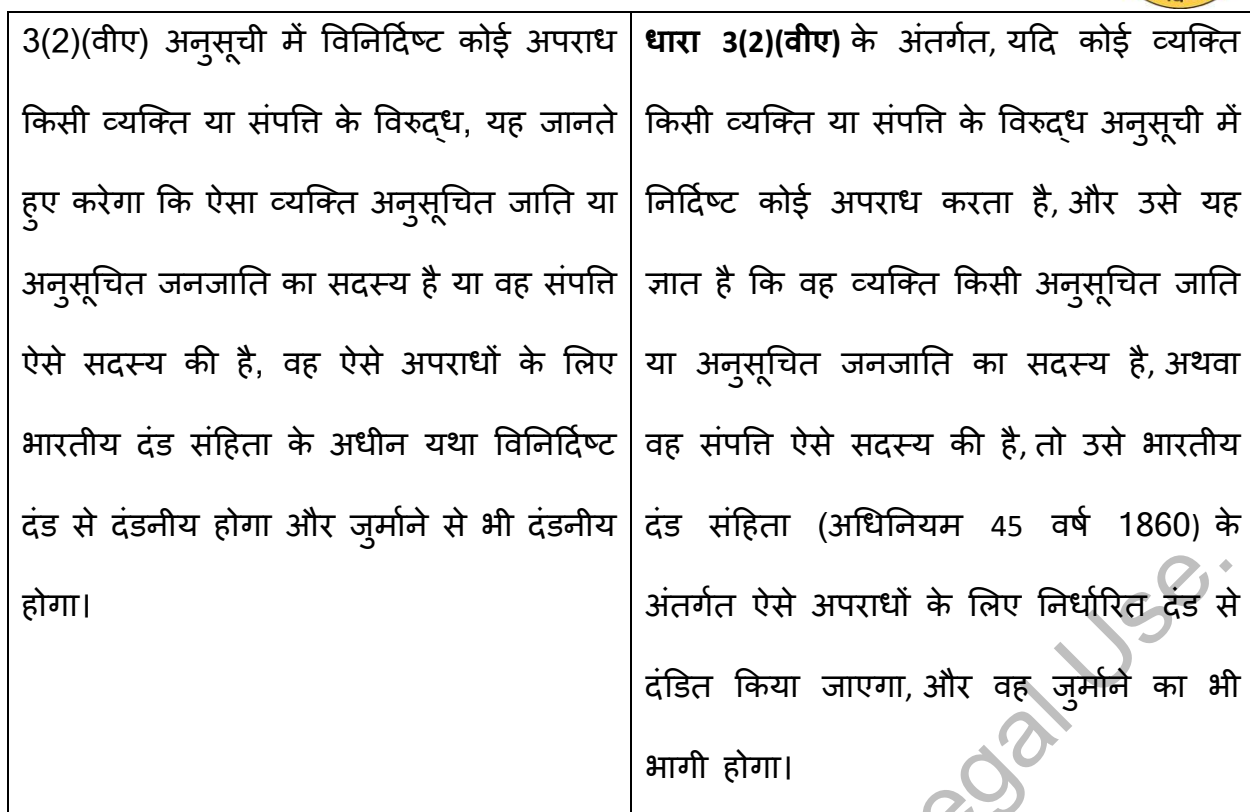
स्वतंत्र सदस्यों की उपस्थिति आवश्यक है; और केवल हितबद्ध साक्षी की उपस्थिति इस शर्त को पूरा नहीं करती है। इसी तरह, (2020) 10 एससीसी 710 में प्रतिवेदित हितेश वर्मा बनाम उत्तराखंड राज्य और अन्य के वाद में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि किसी निजी जगह पर होने वाला विवाद, या ऐसी जगह जहाँ जनता का कोई सदस्य मौजूद हो, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अधिनियम की धारा 3(1) द, ध के अंतर्गत अपराध को आकर्षित नहीं करता है।

9. अपने तर्क के समर्थन में, आवेदक के अधिवक्ता ने 1992 सप्प (1) एससीसी 335 में प्रतिवेदित हरियाणा राज्य और अन्य बनाम भजन लाल और अन्य के वाद पर भी भरोसा जताया है, कि यदि प्रथम सूचना रिपोर्ट की सामग्री को, उसके प्रत्यक्ष मूल्य पर लिया जाए, तो वह अपीलकर्ता के विरुद्ध कोई प्रकरण नहीं बनाती है, तो ऐसे दुर्भावनापूर्ण उद्देश्य से दर्ज की गई प्रथम सूचना रिपोर्ट को रद्द किया जाना चाहिए।

10. त्वरित संदर्भ के लिए, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अधिनियम की धारा 3(1)डीए, डीएचए और 3(2)(v) को यहाँ नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया है:-

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अधिनियम के हिंदी बेयर अधिनियम में प्रावधान।	अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अधिनियम के इंगलिश बेयर अधिनियम में प्रावधान।
(द) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य को अवमानित करने के आशय से लोक दृष्टि में आने वाले किसी स्थान पर अपमानित या अभिन्नस्त करेगा	धारा 3(1)(आर) किसी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के सदस्य को किसी भी स्थान पर, जो सार्वजनिक रूप से दिखाई दे, अपमानित करने के इरादे से जानबूझकर अपमानित करता है या डराता है
(ध) लोक दृष्टि में आने वाले किसी स्थान पर जाति के नाम से अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य को गाली गलौज करेगा	धारा 3(1)(एस) के अंतर्गत, कोई भी व्यक्ति किसी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के सदस्य को, सार्वजनिक रूप से दिखाई देने वाले किसी भी स्थान पर, उसकी जाति के नाम से संबोधित करके उसका अपमान करता है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



12. उपरोक्त तथ्यों और विधि की स्थापित स्थिति को देखते हुए, यह न्यायालय इस सुविचारित राय का है कि आवेदक के खिलाफ अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अधिनियम की धारा 3(1)द, ध और 3(2)(व) के अंतर्गत आपराधिक कार्यवाही जारी रखना, न्यायालय की प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा और विधि की दृष्टि से इसे पोषणीय नहीं रखा जा सकता है।

14. विशेष न्यायाधीश, एससी/एसटी अधिनियम, गाजीपुर के न्यायालय में लंबित, थाना- सैदपुर, जिला- गाजीपुर, मुकदमा अपराध संख्या- 317 वर्ष 2016 से उत्पन्न, एससी/एसटी अधिनियम की धारा 3(1)(द), (ध) एवं 3(2)(v-क) के अंतर्गत विशेष आपराधिक वाद संख्या- 96 वर्ष 2016 (राज्य बनाम फौजदार एवं अन्य) की कार्यवाहियां एतदद्वारा रद्द की जाती हैं।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



(राजीव भारती)

12 जनवरी, 2026

आनंद

Translated Version. Not for Legal Use.

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।